



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कुदुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून - 248003

फोन : 0135-2736032

फैक्स : 0135-2733132

E-mail: jalnigani.mussoorie@yahoo.com

पत्रांक

1433/वन-भूमि/58

दिनांक 28.08.2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय :

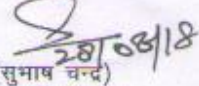
जनपद देहरादून के मसूरी स्थित मसूरी सीवरज योजना के अन्तर्गत (आरकेडिया जोन) में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अधिलेखित 0.020 हे0 नोटिफाईड प्राईवेट फॉरेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/27134/2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मसूरी सीवरज योजना अन्तर्गत आरकेडिया जोन में प्रस्तावित एस0टी0पी0 निर्माण हेतु वांछित 0.02 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव पर आपके द्वारा ऑन लाईन लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0.	आपत्ति	निराकरण
1	Please upload a copy of map indicating location of alternative examination section D of Form A Part-I.	चूंकि उक्त जोन में सीवर लाईन बिछाई जा चुकी है तथा भौगोलिक स्थलीय वनावट के अनुसार उक्त जोन के सीवर का ग्रेविटी फ्लो केवल उक्त खयनित स्थल पर ही सम्भव है, अन्य स्थल पर बिछाया जा जाना सम्भव नहीं है। मसूरी में नव निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है। जिस कारण से पूर्व निर्मित सैप्टिक टैंक के स्थल को ही एस0टी0पी0 हेतु खयनित किया गया है।
2	Justification for locating the project duly countersigned by DFO is not provided.	प्रस्ताव के पृ0सं0 04 पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है, तथा ऑन लाईन भी अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय


(सुमा चन्द्र)

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0

/ वन भूमि /

तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
2. मुख्य वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता

Van bhumi

“जल संचय-प्रीवन संचय” “कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।”
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।